अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

सोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

धारा अन्तर्गत **88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट** मुकदमा नं. **12/2021**

निर्णय दिनांक :- 06.01.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 8 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 93/90 में मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1/2 के 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 10 के 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 11 के 0.253 हैक्टर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें।

आज दिनांक 06.01.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)**}**
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**00**	**00**

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)**}**
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/ 2022/ 11
दिनांकः 6/1/22

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)**}**
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

सोहन सिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए 136 एलआरएक्ट, प्रकरण संख्या 12/2021

जमाबन्दियों में बारानी ही दर्ज चला आ रहा है। टीआरए रिपोर्ट के अनुसार मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1/2 के 0.228 हैक्टर व किला नम्बर 10, 11 सालम-सालम की अन्तर राशि देय नहीं है। अतः वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर 8 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 93/90 में मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1/2 के 0.228 हैक्टर, किला नम्बर 10 के 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 11 के 0.253 हैक्टर बारानी भूमि को नहरी दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान- 2021, राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत 25 एफ गुलाबेवाला में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ★

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर